

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
असाधारण



EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]	दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2017/आषाढ़ 2, 1939	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 121
No. 235]	DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2017/ASHADHA 2, 1939	[N.C.T.D. No. 121

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-१) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 जून, 2017

सं. फा. ३(१०)/ वित्त (राज.-१)/ २०१७-१८/ डीएस-vi/339.—दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 22 जून, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 10, धारा 22, धारा 23, धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28, धारा 29, धारा 30, धारा 139, धारा 146 और धारा 164 के उपबंध लागू होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. के. गुप्ता, उप-सचिव-VI(वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 22nd June, 2017

No. F. 3(10)/Fin(Rev-1)/2017-18/DS-VI/339.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints the 22nd day of June, 2017, as the date on which the provisions of sections 1, 2, 3, 4, 5, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 139, 146 and 164 of the said Act shall come into force.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

S. K. GUPTA, Dy. Secy. VI (Finance)

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.06.24 16:20:53 +05'30'